<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 472/2013 संस्थित दिनांक— 16.10.2012

म.प्र. राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड्वानी

.....अभियोजन

वि रू द्व

- अप्पू उर्फ हेमेन्द्र पिता गोपाल यादव, आयु-30 वर्ष, निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी
- श्याम पिता हरेसिंग मंडलोई, आयु-43 वर्ष, निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी
- श्याम पिता देवराम यादव,
 आयु-30 वर्ष, निवासी ठीकरी,
 तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी
- राहुल पिता मोतीलाल यादव,
 आयु—23 वर्ष, निवासी ठीकरी,
 तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी
- विमल उर्फ विक्की पिता मोतीलाल यादव,
 आयु–18 वर्ष, निवासी ठीकरी,
 तहसील ठीकरी, जिला बड्वानी
- 6. कुणाल पिता लक्ष्मीकांत शर्मा, आयु—26 वर्ष, निवासी 68 अग्रवाल नगर थाना भंवरकुंआ, इंदौर जिला इंदौर

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्तगण द्वारा	– श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 30/04/2016 को घोषित)

1. आरोपीगण के विरूद्ध थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 183/12 के आधार पर दिनांक 30.09.12 को रात्रि लगभग 9:00 बजे फरियादिया के घर के पास ठीकरी में

में उसे तथा शशिकांत, रमाकांत को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ उनकी दुकान जो संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आती है, में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा—452 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था तथा यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादिया एवं आहत साक्षीगण द्वारा आरोपीगण से भा.द.वि. की धारा—294, 323/149, 427, 506(2) के अपराध में प्रकरण में राजीनामा किया गया है, अतः आरोपीगण को दिनांक 25.01.16 को भा.द.वि. की धारा—294, 323/149, 427, 506(2) के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया गया है।
- 3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.12 को श्रीमती इंद्रा सोनी अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी आरोपीगण आए एवं आरोपीगण ने उसे माँ, बहन की अश्लील गालियां दीं । उसने आरोपीगण को गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण ने लात—घूसों से मारपीट की थी, उसके गले की चेन एवं कान का झूमका गिर गया था । आरोपीगण उसे मारते घर के दरवाजे तक लाये थे, तो चिल्लाने पर बाबू शर्मा, सुरेखा सोनी, माँ लीलाबाई एवं उसकी बड़ी लड़की पिंकी आ गये थे, जिन्होंने बीच—बचाव किया था तो उन्हें भी गाली—गालौज करने लगे । उसके बड़े लड़के रमाकांत सोनी ने मोटरसायकल अप्पू पटेल से किश्तों में खरीदी थी, मोटरसायकल फायनेंस अप्पू पटेल ने करायी थी, उसने तीन किश्तों में खरीदी थी, इसी बात को लेकर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी । आरोपीगण ने उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी थी । आरोपीगण ने दुकान में घूसकर तोड़फोड़ की थी । आरोपीगण ने उसके दोनों बच्चों रमाकांत एवं शशिकांत को भी लात—घूसों से मारपीट की थी । श्रीमती इंद्रा सोनी की रिपोर्ट पर से थाना ठीकरी पर अपराध कमांक 182 / 12 दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग—पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
- 4. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा—294, 323 / 149, 452, 427, 506(बी) के आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है । भा.द.सं. की धारा—313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फॅसाया गया है, लेकिन आरोपीगण ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :--

5.

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 30.09.12 को रात्रि 9:00 बजे इंद्रा सोनी के घर के पास उसकी दुकान में उसे तथा शशिकांत, रमाकांत को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

--:: <u>सकारण - निष्कर्ष</u> ::--

6. प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी फरियादिया इंद्रा सोनी (अ.सा.1) एवं स.उ.नि. महावीर सिंह चंदेल (अ.सा.2) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी फरियादी इंद्रा सोनी (अ.सा.1) ने कोई कथन नहीं किया है । साक्षी का केवल इतना कथन है कि वर्ष 2012 में रात्रि के समय आरोपीगण ने उसे गालियां दी थी और उसने गाली देने से मना किया था तो आरोपीगण ने उसके एवं उसके पुत्रों के साथ मारपीट की थी । साक्षी का कथन है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी, जो प्र.पी.1 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था, नक्शा मौका बनाया था, जो प्र.पी.2 का है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने नुकसानी पंचनामा प्र.पी.3 का बनाया था । साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपीगण उसकी दुकान के अंदर घुस गये थे और वहां पर सामान की तोड़फोड़ की थी । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसको अपने पुलिस कथन प्र.पी.4 तथा प्र.पी.1 की रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने की बात बतायी थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि राजीनामा होने से वह आरोपीगण को बचाने के लिये असत्य कथन कर रही है ।
- 8. बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि काउंटर प्रकरण में भी अभियुक्तों ने उससे और उसके पुत्रों के साथ राजीनामा कर लिया है । यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.1 की रिपोर्ट एवं प्र. पी.4 के कथन में पुलिस को आरोपीगण द्वारा दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की बात नहीं बतायी थी ।
- 9. साक्षी स.उ.नि. महावीर सिंह चंदेल (अ.सा.2) द्वारा थाना ठीकरी के अपराध कमांक 183/12 धारा—294, 147, 149, 323, 506, 452, 427 की विवेचना प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान प्र.पी.2 का नक्शामौका एवं प्र.पी.3 का नुकसानी पंचनामा बनाने के संबंध में कथन किया है । साक्षी का कथन है कि उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । साक्षी का कथन है कि घाटना की रिपोर्ट उम्मेदसिंह बोराना द्वारा लिखी गयी थी, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं. जो वह पहचानता है ।
- 10. बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने भी फरियादी पक्ष के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसके आरोपीगण के विरूद्ध भी अभियोग—पत्र न्यायालय में पेश किया गया है । साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि फरियादिया ने उसे घर के अंदर घुसने की बात नहीं बतायी थी और उसने मन से लिख ली है ।

11. ऐसी स्थिति में जबिक फरियादिया ने आरोपीगण से राजीनामा किया गया है तथा आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करने का आशय बनाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये हैं तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादिया एवं उसके पुत्रों को उपहित कारित करने के आशय से उनकी दुकान में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 3 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

- 12. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादिया एवं उसके पुत्रों को उपहति कारित करने के आशय से उनकी दुकान में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया था ।
- 13. अतः यह न्यायालय आरोपीगण अप्पू उर्फ हेमेन्द्र पिता गोपाल यादव, आयु—30 वर्ष, निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी श्याम पिता हरेसिंग मंडलोई, आयु—43 वर्ष, निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी श्याम पिता देवराम यादव, आयु—30 वर्ष, निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी, राहुल पिता मोतीलाल यादव, आयु—23 वर्ष, निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी विमल उर्फ विक्की पिता मोतीलाल यादव, आयु—18 वर्ष, निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी विमल उर्फ विक्की पिता मोतीलाल यादव, आयु—18 वर्ष, निवासी ठीकरी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी कुणाल पिता लक्ष्मीकांत शर्मा, आयु—26 वर्ष, निवासी 68 अग्रवाल नगर थाना भंवरकुंआ, इंदौर जिला इंदौर को भा.द.वि. की धारा—452 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के आरोप में दोषमुक्त घोषित करता है।
- 14 आरोपीगण के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
- 15. आरोपीगण का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।
- 16. प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड्, जिला–बड्वानी, म.प्र.